मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 24/05/2023

क्र. IPI/5/0035/2022/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा मेसर्स महिमा फाइबर्स प्रा.लि. द्वारा ग्राम भीलगांव, तहसील कसरावद, जिला खरगोन में रू. 204.83 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश से कॉटन यार्न विनिर्माण परियोजना स्थापना संबंधी प्रस्ताव (DIPIP23503) हेतु शासनादेश दिनांक 31/10/2022 द्वारा स्वीकृत सुविधाओं के संबंध में पुनर्विलोकन अभ्यावेदन पर निम्नानुसार सुविधायें दिए जाने का निर्णय लिया गया -

1. **निवेश प्रोत्साहन सहायता** - उद्योग सवंर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता परियोजना अन्तर्गत यंत्र-संयंत्र तथा भवन में किये गये निवेश पर 30 प्रतिशत की स्थिर दर से शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये। परियोजना को रोजगार एवं निर्यात गणक का लाभ पृथक से पात्रतानुसार दिया जाये।

2. **प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति** - परियोजना अंतर्गत वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से प्रथम 5 वर्षों में नियुक्त किये गये मध्यप्रदेश के मूल निवासी कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु रूपये 13000 प्रति कर्मचारी की दर से, अधिकतम सीमा रूपये 1 करोड़ तक, प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति प्रदान की जाये।

3. परियोजना हेतु शासनादेश दिनांक 31/10/2022 द्वारा स्वीकृत शेष अन्य सुविधायें तथा उल्लेखित शर्तें यथावत रहेंगी।

4. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम

से तथा आदेशानुसार

(मनीष सिंह)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

निरंतर.....

पृ. क्र. IPI/5/0035/2022/ए-ग्यारह भोपाल, दिनांक24/05/2023

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर।
4. कलेक्टर, जिला- खरगोन।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, डायरेक्टर, मेसर्स महिमा फाइबर्स प्रा.लि. Village Balwari, Tehsil-Dharampuri, District- Dhar 406, Corporate House, 169, RNT Marg, Indore - 452001।

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग